न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 49/2020 (RCMS : 2020/ 00123) अनवान 1. रामस्वरूप 2. राजेन्द्र कुमार 3. जगदीश पिसरान श्री भगतराम जातियान बिश्नोई निवासीगण चमारखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर **बनाम 1. विजयपाल** पुत्र श्री पूर्णराम उर्फ पुरणराम जाति बिश्नोई निवासी ढाणी चक 34 केएसडखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर **2. अनुसुईयां पत्नी राम कुमार 3. सतपाल पुत्र रामकुमार 4. ममता पुत्री रामकुमार** जातियान बिश्नोई निवासीगण चमारखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर **5. पीठासीन अधिकारी, सादुलशहर** जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.08.2021

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मोहन लाल माहर एवं अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता श्री मनोहर लाल सहारण भी उपस्थित है। दोनों पक्षों को सुना गया। अप्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 210/2019 अनुवानी विजयपाल बनाम रामस्वरूप अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो जाता है। अतः इसे खारिज किया जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि यदि इस मुंतकिल प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी के स्थानान्तरण होने के कारण खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 210/2019 अनुवानी विजयपाल बनाम रामस्वरूप अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:11:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और नये पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण भी कर लिया गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:11:39 IST
Reason: SelfAttested